"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 522] रायपुर, शनिवार, दिनांक 25 नवम्बर 2017 —— अग्रहायण 4, शक 1939

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 13 नवम्बर 2017

अधिसूचना

क्रमांक 2535/2308/22–1/2017. —— छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन रायपुर के द्वारा प्रकाशित अधिसूचना कमांक/पं./14वें वित्त/2017/395. –छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 71 गुरूवार, दिनांक 09–03–2017–फल्गुन 18, शक 1938, दिनांक 03 मार्च 2017 में प्रकाशित अधिसूचना को एतद् द्वारा विलोपित करते हुये राज्य शासन एतद् द्वारा 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के कुल आबंटन के 10 % कार्य निष्पादन अनुदान के रूप में प्रदाय करने हेतु वितरण की नियम/प्रकिया निम्नानुसार निर्धारित करती है।

14वें वित्त आयोग अन्तर्गत कार्य निष्पादन अनुदान के वितरण हेतु प्रकिया

14वें वित्त आयोग की अवधि 2015–16 से 2019–20 तक (पांच वर्ष) है। 14वें वित्त आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 से मूल अनुदान तथा वर्ष 2016–17 से कार्य निष्पादन अनुदान ग्राम पंचायतों को देने का प्रावधान किया गया है। आयोग के प्रतिवेदन के अनुच्छेद संख्या 9.70 के अनुसार ग्राम पंचायतों को अनुदान का 90 % अनुदान मूल अनुदान एवं 10 % अनुदान कार्य निष्पादन के रूप में प्राप्त होगा।

14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में कार्य निष्पादन अनुदान का वितरण किया जा चुका है। अब वर्ष 2017–18 से 2019–20 तक 03 वर्षो के लिए ग्राम पंचायतों को चौदहवें वित्त आयोग अंतर्गत कार्य निष्पादन अनुदान वितरण हेतु निम्नानुसार मूल्यांकन के मानदंड निर्धारित किये जाते है :–

1- ग्राम पंचायत को कार्य निष्पादन अनुदान में 10 % आबंटन की पात्रता के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण करना होगा :–

    i- कार्य निष्पादन अनुदान की दावा करने वाले ग्राम पंचायतों को लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे, जो कि उस वर्ष जिसके लिए ग्राम पंचायत ने कार्य निष्पादन अनुदान का दावा प्रस्तुत किया है, उससे दो वर्ष पूर्व से अधिक समय से संबंधित नहीं होंगे। अर्थात् किसी ग्राम पंचायत को वर्ष 2017–18 के कार्य निष्पादन अनुदान के लिये वर्ष 2015–16 का परीक्षित लेखा वर्ष 2018–19 के लिए वर्ष 2016–17 का परीक्षित लेखा तथा वर्ष 2019–20 के लिये वर्ष 2017–18 का परीक्षित लेखा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

ii- कार्य निष्पादन अनुदान की पात्रता हेतु ग्राम पंचायतों को पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में अपनी स्वयं की आय के राजस्व में वृद्धि करनी होगी, और यह वृद्धि परीक्षित लेखा के माध्यम से परिलक्षित होना चाहिए।

iii- कार्य निष्पादन अनुदान वितरण होने वाले वर्ष में ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी) का पूर्ण होना एवं प्लानप्लस पोर्टल में अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।

iv- पंचायती राज मंत्रालय के डैशबोर्ड/वेबसाइड URL में कार्य निष्पादन अनुदान हेतु दावा किये जाने वाले वर्ष के पूर्व वर्ष का क्षेत्रकवार (सेक्टरवार) चौदहवें वित्त आयोग व्यय का प्रविष्टि करना अनिवार्य होगा।

ग्राम पंचायतों द्वारा कार्य निष्पादन अनुदान प्राप्त करने के दावे प्रपत्र 01 में तैयार कर जनपद पंचायत को संबंधित वर्ष में 30 जून तक प्रस्तुत किये जायेंगे। ऐसी दावों का जनपद पंचायत स्तर पर मुल्यांकन/परीक्षण कर प्रपत्र 02, 02अ, 02ब, 02स में जानकारी तैयार किया जाकर जिला पंचायत को संबंधित वर्ष की 15 जुलाई तक तथा जिला पंचायत ऐसी दावों को संकलित तथा परीक्षण कर प्रपत्र 03, 03अ, 03ब, 03स एवं कंडिका 04, 04(1), 04(1)(1), 04(2) एवं 04(3) में पंचायत संचालनालय को 31 जुलाई तक प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त कार्य निष्पादन अनुदान के दावों पर विभाग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2017–18 के कार्य निष्पादन अनुदान के दावा 31 नवम्बर 2017 तक किये जा सकेंगे। शेष दो वर्ष के लिए उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथि तक दावा प्रस्तुत करना होगा।

वित्तीय वर्ष में निर्धारित तिथि पर दावा प्रस्तुत नहीं करने पर या संबंधित ग्राम पंचायत की कार्य निष्पादन की राशि कंडिका–03 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार आबंटन उपरान्त अपात्र ग्राम पंचायतों को ना दिये जा पाने वाली राशि के साथ–साथ कोई भी अवितरित (वितरण हेतु शेष) राशि हो, तो वह 50 या अधिक पूर्णांक प्राप्त ग्राम पंचायतों को उनके द्वारा सूंपर्ण भार के परिपेक्ष्य में प्राप्तांक के औसत भार के आधार पर पुनः वितरित की जायेगी ।

2- उपरोक्त चारों शर्तों का पालन करने वाली ग्राम पंचायतों का मूल्यांकन निम्नानुसार अंकीय पद्धति (Scoring system) के आधार पर किया जावेगा :–

क्र.	अर्हता (वित्तीय वर्ष लिया जावे)	भार (Weightage)
i	वित्तीय वर्ष में ग्राम पंचायत के स्वयं के स्त्रोत के राजस्व की मात्रा में वद्धि	स्कोर (अंक)
	0 से अधिक 10 % तक	05
	10 से अधिक 25 % तक	10
	25 से अधिक 50 % तक	15
	50 % से अधिक	20
ii.	कार्य निष्पादन अनुदान दावा वित्तीय वर्ष की तुलना में चौदहवें वित्त आयोग अंतर्गत पिछले वर्ष के मूल अनुदान के संदर्भ में स्वयं के स्त्रोत के राजस्व का प्रतिशत	स्कोर (अंक)
	0 से अधिक 10 % तक	15
	10 से अधिक 20 % तक	20
	20 से अधिक 30 % तक	30
	30 % से अधिक	40
iii.	कार्य निष्पादन अनुदान दावा वित्तीय वर्ष* की तुलना में पिछले वित्तीय वर्ष में ग्राम पंचायत की खुले में शौचमुक्त (ODF) होने की स्थिति – हॉ – नहीं	30 0
iv.	कार्य निष्पादन अनुदान दावा वित्तीय वर्ष की तुलना में पिछले वित्तीय वर्ष में ग्राम पंचायत में 0 से 2 वर्ष के शिशुओं के पूर्ण टीकाकरण (full immunization) होने की स्थिति – हॉ – नहीं	10 0
	कुल पूर्णांक (i+ii+iii+iv)	100

*. ग्राम पंचायत को कार्य निष्पादन अनुदान प्राप्त करने के लिए अगले साल से ODF बने रहना अनिवार्य शर्त होगी।

3. ग्राम पंचायतों को कार्य निष्पादन अनुदान वितरण

ग्राम पंचायतों को कार्य निष्पादन अनुदान का वितरण अंको के आधार पर अधोलिखित अनुसार किया जवेगा :–

स्कोर (प्राप्तांक)	कार्य निष्पादन अनुदान मात्रा की पात्रता
49 तक	आबंटन का 50 %
50 से 60 तक	आबंटन का 70 %
61 से 70 तक	आबंटन का 80 %
71 एवं अधिक	आबंटन का 100 %

4. वित्तीय वर्ष में चौदहवें वित्त आयोग अंतर्गत कार्य निष्पादन अनुदान आबंटन हेतु मूल्यांकन का संक्षिप्त विवरण : दावा का वित्तीय वर्ष................

4.1 अनिवार्य शर्तों में पात्रता :

क्र.	मूल्यांकन मानदंड	जिले में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या	मानदंड अनुसार पात्रता वाले ग्राम पंचायतों की संख्या
1.	वित्तीय वर्ष .... हेतु लेखा परीक्षण किये खाते प्रस्तुत (संबंधित दावा वर्ष के दो वर्ष पूर्व से ज्यादा पहले के नहीं)		
2.	वित्तीय वर्ष .... हेतु ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी) तैयारी पूर्ण (संबंधित दावा वर्ष हेतु)		
3.	पंचायती राज मंत्रालय के डैशबोर्ड/वेबसाइड URL में कार्य निष्पादन अनुदान हेतु दावा किये जाने वाले वर्ष के पूर्व वर्ष का क्षेत्रकवार (सेक्टरवार) चौदहवें वित्त आयोग व्यय का प्रदर्शन वित्तीय वर्ष .... हेतु (संबंधित दावा वर्ष के पिछले वर्ष का)		
4.	वित्तीय वर्ष .... में स्वयं के स्त्रोत राजस्व में वृद्धि प्रदर्शित (कमांक 1 में दिये लेखा परीक्षण किये खातों अनुसार)		

4:1:1 ग्राम पंचायत की संख्या जो चार अनिवार्य शर्तें पूरी करते है :– ....

4:2 कार्य निष्पादन अनुदान हेतु ग्राम पंचायतों का मूल्यांकन वित्तीय वर्ष :–...........

क	मूल्यांकन मानदंड	मानदंड अनुसार पात्रता वाले ग्राम पंचायतों की संख्या
1.	स्वयं के स्त्रोत राजस्व में वृद्धि (कंडिका 4.1 की सरल कमांक 4 अनुसार) 0 से अधिक 10 % तक 10 से अधिक 25 % तक 25 से अधिक 50 % तक 50 % से अधिक	

	वित्तीय वर्ष .... में लेखा परीक्षण अनुसार (कार्य निष्पादन अनुदान दावा वित्तीय वर्ष की तुलना में चौदहवें वित्त आयोग अंतर्गत पिछले वर्ष के) मूल अनुदान के संबंध में स्वयं के स्त्रोत राजस्व में वृद्धि का प्रतिशत 0 से अधिक 10 % तक 10 से अधिक 20 % तक 20 से अधिक 30 % तक 30 % से अधिक
	वित्तीय वर्ष .... में खुले में शौचमुक्त (ओ.डी.एफ) होने की स्थिति (कार्य निष्पादन अनुदान दावा वित्तीय वर्ष की तुलना में पिछले वित्तीय वर्ष से संबंधित)
	वित्तीय वर्ष .... में 0 से 2 वर्ष के शिशुओं के पूर्ण टीकाकरण (full immunization) होने की स्थिति (कार्य निष्पादन अनुदान दावा वित्तीय वर्ष की तुलना में पिछले वित्तीय वर्ष से संबंधित)

4.3 ग्राम पंचायतों को कार्य निष्पादन अनुदान संवितरण हेतु प्रस्तावित राशि।

क्र.	प्राप्तांक (Score)	ग्राम पंचायतों की संख्या	योजनांतर्गत प्राप्त आबंटन (रू.करोड़ में)	कार्य निष्पादन अनुदान के प्रारंभिक प्रस्तावित आबंटन	अवितरित राशि (4–5)	कुल राशि (रू. करोड़ में) (5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	49 तक					
	50 से 60 तक					
	61 से 70 तक					
	71एवं अधिक					
	योग					

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. सी. मिश्रा, सचिव.

<table>
<tr><th colspan="10">प्रपत्र – 1</th></tr>
<tr><td colspan="5">ग्राम पंचायत का नाम</td><td colspan="5">जनपद पंचायत का नाम</td></tr>
<tr><td>क्र</td><td>कार्य अनुदान हेतु लेखा परीक्षण का वर्ष</td><td>लेखा परीक्षण अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में स्वयं के स्त्रोत राजस्व में वृद्धि का प्रतिशत्</td><td>कार्य निष्पादन अनुदान दावा वर्ष में ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी) पूर्ण है अथवा नहीं।</td><td>ग्राम पंचायत विकास योजना का प्लान प्लस पोर्टल में अपलोड है अथवा नहीं।</td><td>कार्य निष्पादन अनुदान हेतु दावा किये जाने वाले वर्ष के पूर्व वर्ष का 14वें वित्त आयोग के राशि का सेक्टरवार डेशबोर्ड/वेबसाइड में प्रदर्शन हो रहा है अथवा नहीं।</td><td>लेखा परीक्षण के अनुसार कार्य निष्पादन अनुदान दावा वित्तीय वर्ष की तुलना में 14वें वित्त आयोग अन्तर्गत पिछले वर्ष के मूल अनुदान के संबंध में स्वयं के स्त्रोत राजस्व में वृद्धि का प्रतिशत्</td><td>कार्य निष्पादन अनुदान दावा वित्तीय वर्ष की तुलना में पिछले वित्तीय वर्ष में ग्राम पंचायत की खुले में शौचमुक्त (ओ.डी.एफ.) होने की स्थिति हॉ अथवा नहीं</td><td>अगले वित्तीय वर्ष से ओ.डी.एफ. बना रहेगा अथवा नहीं।</td><td>कार्य निष्पादन अनुदान दावा वित्तीय वर्ष की तुलना में पिछले वित्तीय वर्ष में ग्राम पंचायत में 0 से 02 वर्ष के शिशुओं के पूर्ण टीकाकरण (immunization) के होने की स्थिति हॉ अथवा नही</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr>
</table>

हस्ताक्षर एवं सील
सचिव,

हस्ताक्षर एवं सील
सरपंच,
ग्राम पंचायत

प्रपत्र 2									
0 से 49 अंक प्राप्त करने वाले ग्राम पंचायत									
क	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत को कार्य निष्पादन की आबंटित राशि	मूल्यांकन के अनुसार कुल प्राप्तांक	पात्रतानुसार आबंटित राशि का 50 % कार्य निष्पादन अनुदान की राशि	बचत राशि (कॉलम कमांक 03–05)	ग्राम पंचायत का खाता कमांक	बैंक का नाम	बैंक का IFSC कोड नम्बर	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्रपत्र 2 (अ)									
50 से 60 अंक प्राप्त करने वाले ग्राम पंचायत									
क	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत को कार्य निष्पादन की आबंटित राशि	मूल्यांकन के अनुसार कुल प्राप्तांक	पात्रतानुसार आबंटित राशि का 70 % कार्य निष्पादन अनुदान की राशि	बचत राशि (कॉलम कमांक 03–05)	ग्राम पंचायत का खाता कमांक	बैंक का नाम	बैंक का IFSC कोड नम्बर	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्रपत्र 2 (ब)									
61 से 70 अंक प्राप्त करने वाले ग्राम पंचायत									
क	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत को कार्य निष्पादन की आबंटित राशि	मूल्यांकन के अनुसार कुल प्राप्तांक	पात्रतानुसार आबंटित राशि का 80 % कार्य निष्पादन अनुदान की राशि	बचत राशि (कॉलम कमांक 03–05)	ग्राम पंचायत का खाता कमांक	बैंक का नाम	बैंक का IFSC कोड नम्बर	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्रपत्र 2 (स)									
71 एवं अधिक अंक प्राप्त करने वाले ग्राम पंचायत									
क	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत को कार्य निष्पादन की आबंटित राशि	मूल्यांकन के अनुसार कुल प्राप्तांक	पात्रतानुसार आबंटित राशि का 100 % कार्य निष्पादन अनुदान की राशि	बचत राशि (कॉलम कमांक 03–05)	ग्राम पंचायत का खाता कमांक	बैंक का नाम	बैंक का IFSC कोड नम्बर	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(हस्ताक्षर एवं सील)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जनपद पंचायत

प्रपत्र 3										
0 से 49 अंक प्राप्त करने वाले ग्राम पंचायत										
क.	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत को कार्य निष्पादन की आबंटित राशि	मूल्यांकन के अनुसार कुल प्राप्तांक	पात्रतानुसार आबंटित राशि का 50% कार्य निष्पादन अनुदान की राशि	बचत राशि (कॉलम कमांक 04–06)	ग्राम पंचायत का खाता कमांक	बैंक का नाम	बैंक का IFSC कोड नम्बर	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.

प्रपत्र 3 (अ)										
50 से 60 अंक प्राप्त करने वाले ग्राम पंचायत										
क.	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत को कार्य निष्पादन की आबंटित राशि	मूल्यांकन के अनुसार कुल प्राप्तांक	पात्रतानुसार आबंटित राशि का 70% कार्य निष्पादन अनुदान की राशि	बचत राशि (कॉलम कमांक 04–06)	ग्राम पंचायत का खाता कमांक	बैंक का नाम	बैंक का IFSC कोड नम्बर	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

प्रपत्र 3 (ब)										
61 से 70 अंक प्राप्त करने वाले ग्राम पंचायत										
क.	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत को कार्य निष्पादन की आबंटित राशि	मूल्यांकन के अनुसार कुल प्राप्तांक	पात्रतानुसार आबंटित राशि का 80% कार्य निष्पादन अनुदान की राशि	बचत राशि (कॉलम कमांक 04–06)	ग्राम पंचायत का खाता कमांक	बैंक का नाम	बैंक का IFSC कोड नम्बर	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

प्रपत्र 3 (स)										
71 एवं अधिक अंक प्राप्त करने वाले ग्राम पंचायत										
क.	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत को कार्य निष्पादन की आबंटित राशि	मूल्यांकन के अनुसार कुल प्राप्तांक	पात्रतानुसार आबंटित राशि का 100%कार्य निष्पादन अनुदान की राशि	बचत राशि (कॉलम कमांक 04–06)	ग्राम पंचायत का खाता कमांक	बैंक का नाम	बैंक का IFSC कोड नम्बर	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(हस्ताक्षर एवं सील)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत

प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी .... ग्राम पंचायतों द्वारा वित्तीय वर्ष .... हेतु प्रस्तुत जानकारी के आधार पर समुचित मूल्यांकन उपरान्त प्रेषित किया गया है, जो कि योजना हेतु जारी अधिसूचना कमांक .... (राज्य अधिसूचना) अनुसार है ।

(हस्ताक्षर एवं सील)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2017.